4/6/19

[illegible] के अन्तर्गत
[illegible] वर्ष 2018 के [illegible] के लिए
[illegible] प्रार्थी [illegible]
[illegible] के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हुए
उनके विरुद्ध कार्यवाही [illegible]
[illegible] प्रपत्र [illegible]
[illegible] प्रार्थी के [illegible]
[illegible] निर्णय [illegible]
[illegible]

विपक्षी को दि[illegible]
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, R.A.S.

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्रकरण संख्या 66 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

[illegible]

[illegible] — प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

[illegible]

[illegible] — विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री [illegible] अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4/6/18

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम [illegible] तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 109, 116, 118, 769, 1334, 775, 776, 868, 878, 879, 881, 970, 978 कुल किता 12 रकबा 5.16 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस ~~अभिभाषक~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम [illegible] संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 11 रकबा 4.88 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के. आर. यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः-तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner